भारत सरकार
शिक्षा मंत्रालय
स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

लोक सभा
तारांकित प्रश्न संख्या-135
उत्तर देने की तारीख-09/02/2026
निपुण भारत मिशन की प्रगति

***135. श्री नीरज मौर्य:**
श्री नव चरण माझी:

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कक्षा 3 के अंत तक मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान सुनिश्चित करने की दिशा में समझ के साथ पठन और संख्याज्ञान में दक्षता के लिए राष्ट्रीय पहल (निपुण) भारत मिशन के अंतर्गत विशेषकर उत्तर प्रदेश के आंवला (बरेली), शाहजहांपुर, बदायूं और जौनपुर जिलों, कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़ जिले, झारखंड के हजारीबाग और रामगढ़ जिलों, उत्तर प्रदेश के मछलीशहर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र तथा तेलंगाना और राजस्थान सहित राज्य/जिला-वार अब तक क्या प्रगति हुई है और इसके कवरेज और प्रमुख अधिगम परिणाम संकेतक क्या हैं;

(ख) सरकार द्वारा तेलंगाना राज्य सहित उपरोक्त जिलों में आधारभूत कौशल को बढ़ाने के लिए शिक्षकों की क्षमता निर्माण, गुणवत्तापूर्ण शिक्षण-अधिगम सामग्री की उपलब्धता और मूल्यांकन ढांचे के सुदृढ़ीकरण के लिए क्या ठोस उपाय किए गए हैं;

(ग) गुजरात, मध्य प्रदेश सहित विभिन्न राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों में विशेषकर देवास-शाजापुर निर्वाचन क्षेत्र और उपरोक्त जिलों में छात्रों के अधिगम परिणामों की वास्तविक सामयिक निगरानी के लिए अपनाए गए डिजिटल/संस्थागत तंत्रों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार का विचार निपुण भारत के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए मध्य प्रदेश के देवास-शाजापुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र और तेलंगाना के जिले सहित पिछड़े क्षेत्रों/पिछड़ रहे क्षेत्रों, विशेषकर उपरोक्त जिलों और संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों को अतिरिक्त शैक्षिक सहायता या तकनीकी प्रोत्साहन प्रदान करने का है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
शिक्षा मंत्री
(श्री धर्मेंद्र प्रधान)

(क) से (घ): विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

*****

"निपुण भारत मिशन की प्रगति" के संबंध में माननीय सांसद श्री नीरज मौर्य और श्री नव चरण माझी द्वारा दिनांक 09.02.2026 को पूछे गए लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 135 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क): स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग (डीओएसईएंडएल), शिक्षा मंत्रालय (एमओई) ने 5 जुलाई, 2021 को एक राष्ट्रीय मिशन शुरू किया है जिसे राष्ट्रीय पहल – समझ के साथ पढ़ने और संख्याज्ञान में दक्षता (निपुण भारत मिशन (एनबीएम)) कहा जाता है। इस मिशन का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि देश का प्रत्येक बच्चा कक्षा 2 के अंत तक मूलभूत साक्षरता और संख्याज्ञान (एफ़एलएन) आवश्यक रूप से प्राप्त करे। यह मिशन राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 के अनुरूप है और इसे विद्यालय शिक्षा के लिए एकीकृत योजना केंद्रीय प्रायोजित योजना समग्र शिक्षा के तत्वावधान में स्थापित किया गया है। समग्र शिक्षा के अंतर्गत, सभी 36 राज्य/संघ राज्य क्षेत्र एनबीएम को लागू कर रहे हैं। एनबीएम के अंतर्गत पिछड़े क्षेत्रों को शामिल करते हुए निम्नलिखित घटकों के लिए वित्तीय मानदंड प्रदान किए गए हैं:

- प्री-स्कूल शिक्षा/सह-स्थित आंगनवाड़ी केंद्रों को सहायता (आवर्ती एवं गैर-आवर्ती)
- नवोन्मेषी शिक्षण पद्धतियों के कार्यान्वयन हेतु शिक्षण-अधिगम सामग्री
- शिक्षक संसाधन सामग्री/कार्य पुस्तिका
- कक्षा I एवं II के शिक्षकों की क्षमता निर्माण
- छात्रों का स्वतंत्र, आवधिक एवं समग्र मूल्यांकन
- राज्य एवं ज़िला स्तर पर परियोजना प्रबंधन इकाई (पीएमयू) का गठन

एनबीएम के अंतर्गत, कई प्रकार के प्रणालीगत मध्यवर्तन किए गए हैं और उत्तर प्रदेश के आंवला (बरेली), शाहजहाँपुर, बदायूँ और जौनपुर ज़िले, कर्नाटक का दक्षिण कन्नड़ ज़िला, झारखंड के हज़ारीबाग और रामगढ़ ज़िले, उत्तर प्रदेश का मछलीशहर संसदीय क्षेत्र, तथा तेलंगाना और राजस्थान राज्य सहित पूरे देश में निम्नलिखित प्रगति हुई है।

(i) कक्षा I के लिए 'विद्या प्रवेश' नाम से 3 माह का खेल आधारित 'स्कूल तैयारी मॉड्यूल एवं दिशानिर्देश' 29 जुलाई, 2021 को शुरू किया गया। विद्या प्रवेश कार्यक्रम का उद्देश्य विभिन्न पृष्ठभूमियों (बालवाटिका, आंगनवाड़ी केंद्र (एडबल्यूसी), घर, निजी प्ले स्कूल आदि) से कक्षा I में आने वाले सभी बच्चों में विद्यालय जाने की तैयारी को प्रेरित करना है ताकि बच्चों का कक्षा I में निर्बाध पारगमन सुनिश्चित किया जा सके। यह कार्यक्रम आनंददायक और प्रेरक वातावरण में जो उन्हें बच्चों को खेल आधारित, आयु एवं विकास के अनुरूप अधिगम अनुभव प्रदान करता है, समग्र विकास की ओर ले जाता है। इससे बच्चों की साक्षरता-पूर्व, संज्ञानात्मक और सामाजिक कौशल को सुदृढ़ किया जाता है। यह कार्यक्रम पूरे देश में लागू किया जा रहा है। वर्ष 2022-23 से अब तक, लगभग 4.2 करोड़ छात्रों को लाभ मिला है, जो लगभग 8.9 लाख विद्यालयों में अध्ययनरत हैं। राज्य-वार विवरण **संलग्न** है।

(ii) मूलभूत स्तर पर अधिगम परिणामों में सुधार लाने के लिए मूलभूत स्तरीय राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा (एनसीएफ़-एफ़एस) को 20 अक्टूबर, 2022 को जारी किया गया। यह रूपरेखा पाठ्यक्रम, शिक्षकों के प्रशिक्षण, शिक्षण-अधिगम सामग्री (एलटीएम) आदि के लिए संरचना प्रदान करती है।

(iii) जादुई पिटारा (जेपी), जो 3-8 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए 53 खेल-आधारित शिक्षण-अधिगम सामग्रियों का एक सेट है, 20 फरवरी 2023 को आरंभ किया गया था।यह 22 भारतीय भाषाओं में उपलब्ध है और इसमें खिलौने, पहेलियाँ, कहानी कार्ड, फ्लैशकार्ड तथा शिक्षक पुस्तिकाएँ शामिल हैं। इसका डिजिटल विस्तार ई-जादुई पिटारा 10 फरवरी 2024 को आरंभ किया गया, जिसमें 22 भारतीय भाषाओं में बहुभाषी कहानियाँ, कार्य, गीत उपलब्ध हैं। इसके साथ ही एआई आधारित बॉट्स — कथा सखी, टीचर तारा और पैरेंट तारा — बच्चों, शिक्षकों और माता-पिता को सहयोग प्रदान करते हैं। एनईपी 2020 की परिकल्पना के अनुसार, ये पहल मूलभूत स्तर का अभिन्न हिस्सा हैं।

(iv) प्राइमर (मार्च 2024 में आरंभ किए गए) एफ़एलएन के लिए 121 स्थानीय और जनजातीय भाषाओं में विकसित किए गए हैं। ये प्राइमरी उन मातृभाषाओं में तैयार किए गए हैं जिन्हें कम से कम 10,000 की जनसंख्या द्वारा बोली जाती है।उत्तर प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात में जारी किए गए प्राइमरी की सूची नीचे सारणीबद्ध रूप में दी गई है।:

राज्य	प्राइमर का नाम
झारखंड	कोरवा, खड़िया, कुरुख, मुंडारी, भूमिज और संताली (हिंदी लिपि में)
कर्नाटक	कोडवा, तुलु, कन्नड़
तेलंगाना	तेलुगु, गोंडी-तेलुगु, कोलामी-तेलुगु
राजस्थान	भीली (वासवा) भीली (वागडी)
गुजरात	गुजराती, भीली (वासवा)
मध्य प्रदेश	भीली (वसावा), कोरकू
उत्तर प्रदेश	हिंदी, उर्दू, संस्कृत

(v) बालवाटिका-3 से लेकर कक्षा-2 तक एफ़एलएन के लिए लक्ष्य विकसित किए गए हैं जो अधिगम परिणामों पर आधारित हैं और इन्हें राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय शोध के आधार पर तैयार किया गया है।

(vi) स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग (डीओएसईएंडएल)) और एमओडबल्यूसीडी ने दिनांक 03.09.2025 को संयुक्त रूप से आंगनवाड़ी केंद्रों को विद्यालयों के साथ सह-स्थान करने हेतु दिशानिर्देश जारी किए गए। इन दिशानिर्देशों को प्रभावी कार्यान्वयन के लिए राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों के साथ साझा किया गया है। यूडाइज़+ 2024-25 के अनुसार, कक्षा 1 वाले कुल 9,11,035 सरकारी एवं सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों में से, 4.81 लाख से अधिक विद्यालय (52.79%) में किसी न किसी रूप में प्री-स्कूल शिक्षा सुविधा उपलब्ध है — चाहे वह एडबल्यूसी हो, बालवाटिका या दोनों हो।

(vii) भारत सरकार पूरे देश में अधिगम और शिक्षा परिणामों को मापने के लिए समय-समय पर बड़े पैमाने पर आकलन करती है।राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण (एनएएस) वर्ष 2017 और पुनः 2021 में किया गया था ताकि कक्षा 3, 5, 8 और 10 के छात्रों के अधिगम स्तर का मूल्यांकन किया जा सके।इस सर्वेक्षण में भाषा, गणित, पर्यावरण अध्ययन, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान जैसे विषय शामिल थे। राज्य/ज़िला-वार रिपोर्ट कार्ड सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध हैं और इन्हें https://nas.gov.in/report-card पर देखा जा सकता है।

परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण (PRS), 2024 का आयोजन छात्रों की एफ़एलएन, भाषा और गणित में अधिगम दक्षताओं/परिणामों का मूल्यांकन करने के लिए किया गया।यह मूल्यांकन प्रत्येक शैक्षिक चरण — मूलभूत, आरंभिक एवं मध्य स्तर — के अंत में कक्षा 3, 6 और 9 में किया जाता है। नवीनतम पीआरएस, 2024 का आयोजन 4 दिसंबर, 2024 को किया गया।राज्य/ज़िला-वार पीआरएस 2024 रिपोर्ट को 2 जुलाई, 2025 को सार्वजनिक डोमेन में आधिकारिक रूप से जारी किया गया है। इसे सार्वजनिक रूप से https://dashboard.parakh.ncert.gov.in/en पर देखा जा सकता है।

पीआरएस 2024 के निष्कर्ष एफ़एलएन कौशल परिणामों में अत्यधिक सुधार को दर्शाते हैं, जो एनईपी 2020 में यथा परिकल्पित एनबीएम के सकारात्मक प्रभाव को प्रतिबिंबित करता है। यह निष्कर्ष यह भी दर्शाता है कि ग्रामीण विद्यालयों के कक्षा 3 के बच्चों का प्रदर्शन शहरी विद्यालयों से बेहतर रहा है तथा सरकारी विद्यालयों ने निजी विद्यालयों को मूलभूत स्तर पर पीछे छोड़ दिया है। राष्ट्रिय उपलब्धि सर्वेक्षण (एनएएस) की तुलना में कक्षा-3 की तुलनात्मक स्थिति नीचे तालिका में दी गई है:

कक्षा 3: तुलनात्मक स्थिति (भारत) (प्रतिशत में)		
	एनएएस, 2021	पीआरएस, 2024
भाषा	62	64
गणित	57	60

पीआरएस, 2024 के आधार पर, कक्षा-3 का प्रदर्शन उत्तर प्रदेश के बरेली (आंवला), शाहजहाँपुर, बदायूँ और जौनपुर (मछलीशहर) ज़िलों, कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़ जिला, झारखंड के हज़ारीबाग और रामगढ़ ज़िलों, तेलंगाना तथा राजस्थान में इस प्रकार है:

राज्य	जिला	% शिक्षण परिणाम का प्रतिशत, भाषा (पीआरएस, 2024)	% शिक्षण परिणाम का प्रतिशत, गणित(पीआरएस, 2024)
उत्तर प्रदेश	बरेली (आंवला संसदीय क्षेत्र)	71	67
	शाहजहांपुर	65	61
	बदायूं	64	61
	जौनपुर (मछलीशहर संसदीय क्षेत्र))	73	68
कर्नाटक	दक्षिण कन्नड़	64	59
झारखंड	हजारीबाग	53	49
	रामगढ़	56	54
तेलंगाना	सभी जिले	58	54
राजस्थान	सभी जिले	70	66

(ख): सेवा-पूर्व शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) द्वारा विनियमित किए जाते हैं, जिनमें मूलभूत स्तर के लिए शिक्षक तैयारी पर बल दिया गया है। इस संदर्भ में एकीकृत अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम (आईटीईपी) शुरू किया गया है, जो चार वर्षीय एकीकृत डिग्री कार्यक्रम है। यह कार्यक्रम विद्यालय शिक्षा, शिक्षकों को तैयार करता है जिसमें मूलभूत स्तर इसमें बाल विकास, प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा (ईसीसीई), खेल-आधारित एवं गतिविधि-आधारित शिक्षण पद्धति और एफ़एलएन को एकीकृत किया गया है, साथ ही प्रारंभिक एवं सतत विद्यालय इंटर्नशिप भी सम्मिलित है।इसके अतिरिक्त, स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग (डीओएसईएंडएल) ने अधिगम परिणामों में सुधार हेतु एक राष्ट्रीय पहल शुरू की है जिसे राष्ट्रीय पहल – विद्यालय प्रमुखों एवं शिक्षकों का समग्र उन्नयन (निष्ठा) कहा जाता है। यह समग्र शिक्षा योजना के अंतर्गत लागू है। निष्ठा बड़े पैमाने पर सेवारत शिक्षकों की क्षमता वृद्धि को सहयोग देता है और इसमें प्राथमिक शिक्षकों के लिए शिक्षण पद्धति, एफ़एलएन, समावेशी शिक्षा और कक्षा व्यवहार पर केंद्रित प्रशिक्षण मॉड्यूल शामिल हैं। इसे राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों के समन्वय से सम्मुख और ऑनलाइन दोनों माध्यमों से लागू किया जा रहा है। 15.57 लाख से अधिक उपयोगकर्ताओं — जिनमें प्री-प्राइमरी शिक्षक, मास्टर ट्रेनर और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता शामिल हैं ने एफ़एलएन एवं ईसीसीई के लिए निष्ठा ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम पूरा कर लिया है। इसके अतिरिक्त, ये राज्य राज्य स्तर पर शिक्षकों के भौतिक प्रशिक्षण भी आयोजित कर रहे हैं

(ग): भारत सरकार ने वास्तविक अधिगम परिणामों की निगरानी को सुदृढ़ करने के लिए शैक्षणिक ढाँचे के भाग के रूप में 'स्वचालित स्थायी शैक्षणिक खाता रजिस्ट्री (अपार)' की शुरुआत की है। यह पहल एनईपी 2020 के अनुरूप 'वन नेशन, वन स्टूडेंट आईडी' पहल का हिस्सा है और प्रत्येक छात्र के लिए एक अद्वितीय, आजीवन शैक्षणिक पहचान पत्र के रूप में कार्य करती है। यह प्रणाली छात्रों की शैक्षणिक यात्रा को मूलभूत स्तर से आगे तक दर्ज करती है, जिसमें शैक्षणिक उपलब्धियाँ, सह-पाठ्यक्रम कार्यकलाप, कौशल विकास, मूल्यांकन और मूलभूत स्वास्थ्य अभिलेख शामिल हैं।यह डिजिटल प्रणाली अधिगम की निरंतरता सुनिश्चित करती है, स्कूल छोड़ने वाले छात्रों को पुनः स्कूल आने में सहायता करती है और माता-पिता, शिक्षकों एवं संस्थाओं के लिए समय पर शैक्षणिक अद्यतन जानकारी उपलब्ध कराती है।

इसके अतिरिक्त, अपार को समग्र प्रगति कार्ड (एचपीसी) के साथ एकीकृत किया गया है, जो दक्षता-आधारित और प्रारूपिक मूल्यांकन के माध्यम से छात्र के विकास का 360-डिग्री दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। एचपीसी एक बहुआयामी प्रगति रिपोर्ट है, जो प्रत्येक शिक्षार्थी की संज्ञानात्मक, भावात्मक, सामाजिक-भावनात्मक और मनो-गतिकीय क्षेत्रों में प्रगति तथा उसकी विशिष्टता को विस्तार से दर्शाती है।यह प्रत्येक बच्चे के एफ़एलएन कौशल के अधिगम की स्थिति को मानचित्रित करने में सहायक है। एचपीसी से प्राप्त आंकड़े विद्या समीक्षा केंद्र से जुड़े हुए हैं, जो एक केंद्रीकृत डेटा एनालिटिक्स प्लेटफ़ॉर्म है। यह छात्र की प्रगति की निगरानी करता है, अधिगम कमियों की पहचान करता है और लक्षित मध्यवर्तनों को सहयोग प्रदान करता है।अपार, एचपीसी और वीएसके मिलकर एक डिजिटल, डेटा-आधारित पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करते हैं, जो निपुण भारत मिशन और अपेक्षाकृत व्यापक समग्र शिक्षा पहल के डिजिटल परिवर्तन लक्ष्यों को सहायता प्रदान करना है।यह प्रणाली प्रत्येक छात्र की प्रगति का सतत् ट्रैकिंग सुनिश्चित करती है जिससे जवाबदेही और अधिगम परिणामों में सुधार सभी शैक्षिक चरणों में सुनिश्चित हो पाता है।

इसके अतिरिक्त, भारत सरकार पूरे देश में अधिगम और शिक्षा परिणामों को मापने के लिए समय-समय पर बड़े पैमाने पर आकलन करती है, जो परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण के माध्यम से किया जाता है, जैसा कि बिंदु (क) में उल्लिखित है।

(घ): एनबीएम को समग्र शिक्षा योजना के तत्वावधान में लागू किया गया है। विद्यालय शिक्षा के सभी स्तरों पर सामाजिक वर्गों के बीच की खाई को पाटना समग्र शिक्षा योजना के प्रमुख उद्देश्यों में से एक है।यह योजना सामाजिक-आर्थिक रूप से वंचित समूहों (एसईडीजी) के बच्चों की मदद के लिए पहुँचती है।समग्र शिक्षा योजना निष्पक्षता और सार्वलौकिक पहुँच के सिद्धांतों पर के आधार पर कार्यान्वित की जाती है। इसके अंतर्गत सभी शिक्षार्थियों को सामाजिक या आर्थिक पृष्ठभूमि पर ध्यान दिए बिना उच्चतम गुणवत्ता की शिक्षा तक न्यायोचित पहुँच प्रदान की जाती है। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र अपने स्तर पर अतिरिक्त,

संदर्भानुकूल शिक्षण-अधिगम सामग्री भी उपलब्ध करा रहे हैं। देवास-शाजापुर संसदीय क्षेत्र सहित मध्य प्रदेश में बच्चों की नोट बुक और शिक्षक मार्गदर्शिकाओं में क्यूआर कोड दिए गए हैं, जिनमें सामग्री और शिक्षण तकनीकें शामिल हैं।शिक्षकों को टैबलेट प्रदान किए गए हैं। तेलंगाना में, कमज़ोर प्रदर्शन करने वाले मंडलों और ज़िलों में विशेष केंद्रित मध्यवर्तन शुरू किए गए हैं

*****

अनुलग्नक

"निपुण भारत मिशन की प्रगति" के संबंध में दिनांक 09/02/2026 को लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 135 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

वर्ष 2022-23, 2023-24 और 2024-25 के लिए विद्या प्रवेश कार्यक्रम का विवरण

		कार्यान्वित स्कूलों की संख्या			कवर किए विद्यार्थियों की संख्या		
क्र.सं.	राज्य/यूटी	**2022-23**	**2023-24**	**2024-25**	**2022-2023**	**2023-2024**	**2024-2025**
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	305	308	308	1,962	2,305	2,445
2	आंध्र प्रदेश	49,847	38,950	35,036	18,76,989	6,03,949	2,42,882
3	अरुणाचल प्रदेश	1,578	2,631	2,379	13,328	18,938	20,595
4	असम	30,027	38,312	38,724	4,91,220	5,28,837	5,39,980
5	बिहार	65,920	67,657	65,309	20,00,000	15,23,411	12,95,231
6	चंडीगढ़	112	118	118	9,154	2,107	7,779
7	छत्तीसगढ़	21,735	30,925	31,560	2,59,165	3,19,918	3,19,918
8	डीएनएच-डीडी	328	303	303	7,759	7,192	7,049
9	दिल्ली	2,714	1,622	2,645	4,18,105	1,36,318	1,23,459
10	गोवा	1,000	1,007	1,008	18,212	17,253	17,253
11	गुजरात	31,878	32,030	32,701	6,75,494	1,12,048	6,15,037
12	हरियाणा	8,400	8,663	8,654	6,47,000	1,10,000	1,05,719
13	हिमाचल प्रदेश	10,555	10,363	9,950	1,77,036	49,294	22,510
14	जम्मू एंड कश्मीर	22,020	13,805	8,965	1,34,249	1,30,640	1,19,160
15	झारखंड	34,457	36,626	36,626	13,00,000	5,52,263	5,70,745
16	कर्नाटक	42,672	42,255	42,656	16,18,021	4,61,514	3,71,017
17	केरल	-	8,021	9,395	-	2,58,141	2,46,656
18	लद्दाख	666	717	738	4,645	1,972	2,121
19	लक्षद्वीप	27	27	27	1,067	1,009	1,028
20	मध्य प्रदेश	63,397	79,480	79,215	8,07,276	7,09,841	14,94,199
21	महाराष्ट्र	79,382	82,906	82,906	13,84,131	11,03,339	10,78,720
22	मणिपुर	-	3,334	3,376	-	29,638	29,871
23	मेघालय	330	-	2,624	6,185	-	32,512
24	मिजोरम	1,282	1,255	1,266	21,662	17,455	51,135
25	नागालैंड	114	1,764	1,449	3,926	14,705	13,002
26	ओडिशा	46,510	44,945	44,945	5,04,181	4,76,791	5,11,152
27	पुदुचेरी	296	350	340	9,814	5,494	5,218
28	पंजाब	12,827	13,160	12,862	2,05,669	2,02,625	1,75,524
29	राजस्थान	68,686	68,140	68,542	6,78,019	8,79,705	7,65,779
30	सिक्किम	-	767	764	-	3,070	3,064
31	तमिलनाडु	58,157	38,036	45,989	5,21,844	3,63,724	3,58,700

32	तेलंगाना	29,428	24,144	24,144	2,19,427	1,93,988	1,93,988
33	त्रिपुरा	4,200	4,227	4,227	50,000	37,826	37,826
34	उत्तर प्रदेश	1,11,599	1,12,058	1,11,597	25,06,100	13,88,269	12,66,863
35	उत्तराखंड	11,596	11,468	11,248	1,65,480	63,390	63,960
36	पश्चिम बंगाल	65,748	64,969	65,261	12,76,810	10,33,954	21,94,421
कुल		**8,77,793**	**8,85,902**	**8,87,857**	**1,80,13,930**	**1,13,60,923**	**1,29,06,518**